

(29)

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

RIMS
2019/00008
6/0/19



राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
सिणधरी

बनाम

धनदाम वल्लु जोगराम काठ पाट
नियाली सिणधरी चरवाण

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 29 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-3-19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा <u>सिणधरी</u> चरवाण के खसरा संख्या <u>104/2</u> रकबा <u>0-07 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गैर सायल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>18/3/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर </p> <p> <u>18/3/19</u> पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल उपस्थित नोटिस आवेदन मसुदा पर न्याया हेतु प्राप्त हुआ जिसे शामिल फिलियल किया गया। गैर सायल इसी जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल फिलियल किया गया। पत्रावली दिनांक <u>28/3/19</u> को प्रस्तुत हुई। </p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर </p>	

28/3/19 पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। गैर साक्ष्य
 अनुरोध उपस्थित। गैर साक्ष्य की
 कीर्तिका होने हेतु समय त्याग
 गया। पत्रावली शर्मादा कि 15/4/19
 को प्रस्तुत है।

व्यंजनादास

तहसीलदार सिणधरी
 जिला - बाड़मेर

15/4/19 पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। गैर साक्ष्य
 उपस्थित। गैर साक्ष्य ने अतिक्रमण
 होने हेतु समय त्याग जो दीया
 जाकर पत्रावली दिनांक 06/5/19 को
 प्रस्तुत है।

व्यंजनादास

तहसीलदार सिणधरी
 जिला - बाड़मेर

6/5/19 पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। गैर साक्ष्य
 अनुपस्थित। गैर साक्ष्य द्वारा दिनांक 28/3/19
 को प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया,
 जवाब में कोई विधि संगत नहीं पाए
 गए, एवं न ही गैर साक्ष्य द्वारा कोई कर्तव्य
 के संदर्भ में कोई विधि संगत इत्यादि प्रस्तुत
 किए। अतः गैर साक्ष्य को अतिक्रमण चोषित
 किया जाता है। पत्रावली फेरसय सुगर है।
 निर्णय प्रथक से लिया जाकर प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी

दिनांक 06/5/19 को प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जवाब में कोई विधि संगत नहीं पाए गए, एवं न ही गैर साक्ष्य द्वारा कोई कर्तव्य के संदर्भ में कोई विधि संगत इत्यादि प्रस्तुत किए। अतः गैर साक्ष्य को अतिक्रमण चोषित किया जाता है। पत्रावली फेरसय सुगर है। निर्णय प्रथक से लिया जाकर प्रस्तुत है।